प्रपत्र-१

परियोजना का नाम :- **जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठाखानी कटपतिया से दौबांस मोटर मार्ग (११.००० कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देष्य से पर्वतीय क्षेत्र में २५० से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या : १८८०/पी ३-१६/यू०आर०आर०डी०ए०/११ दिनाँक २३ दिसम्बर, २०११ उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज -VII के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

र्ष २००१ की जनगणना के अनुसार बसावट दौबांस की आवादी **५८६** अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्ब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि **०.००** है०, नाप भूमि **५.१८०** है०, सिविल सोयम भूमि **४.७२१** है० एवं मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल हेतु नाप भूमि **०.५८१** है०, सिविल सोयम भूमि **०.२१४** है० प्रभावित हो रही है। अतः मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल अर्जित भूमि - **१०.६६६ हैं०** । जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम १६८० के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु २ समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं० १ :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड के अन्तर्गत मडमानले से दौबांस मोटर मार्ग के ६.०० कि०मी से कटपतिया से मोटर मार्ग प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में १३ हेयरपिन बैण्ड प्रस्तावित हैं इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते है तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखण नं० २ :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत मडमानले से दौबांस मोटर मार्ग के ६.०० कि०मी० से कटपतिया सेकुनकुटिया होतेहुये मोटर मार्ग प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में १३ हेयरपिन बैण्ड प्रस्तावित है इस समरेखण की ल० १३.०० कि० मी० आती है। समरेखण की ल० अधिक होने के कारण तथा समरेखण का अधिकतर भाग वन पंचायत क्षेत्र से होकर गुजरता है मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने में वृक्ष अधिक प्रभावित होते है तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० **२** को निरस्त कर समरेखण नं० **१** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० **१** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः ११.००० कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार सिविल सोयम भूमि ६ मीटर चौड़ाई एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु **४.६३५** है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समंरक्षण अधिनियम **१६८०** के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़	अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़